



Haryana Industrial Training Directorate,  
Headquarters: Chandigarh

आदेश

निदेशालय के आदेश पृ0 क0 केसी/टीए/स्था0/चतुर्थ श्रेणी/प्रशा01/एए5/726 दिनांक 13.3.2013 द्वारा श्री रणधीर सिंह, वर्कशाप अटैण्डेंट के राजकीय आई.टी.आई (महिला) पुण्डरी से राजकीय आई.टी.आई (महिला), अम्बाला शहर तथा श्री सुरेन्द्र कुमार, वर्कशाप अटैण्डेंट के राजकीय आई.टी.आई (महिला), अम्बाला शहर से राजकीय आई.टी.आई (महिला) पुण्डरी के जारी स्थानांतरण आदेश रद्द किये जाते हैं।


दिनांक:-5.4.2013

R.C.VERMA, IAS  
निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा।

पृ0 कमांक केसी/टीए/स्था0/प्रशा01/एए5/1099 दिनांक 5-4-13

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. ओ.एस.डी./सी.एम।
2. निजी सचिव/आई.टी.एम।
3. निजी सचिव/प्रधान सचिव, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।
4. निजी सहायक/निदेशक।
5. नोडल अधिकारी वेबसाईट को ये आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), पुण्डरी व अम्बाला शहर।

  
उप-अधीक्षक (प्रशासन-1)  
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा।